# न्यायालय, भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 09/2020
GCMS NO. : 2020/00014

-: वादीगण:- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली

1. फुला पुत्र मिश्रु
2. पूनाराम पुत्र बक्षाराम
3. मोहन पुत्र शिवदान
4. जगदीश पुत्र शिवराम

जातियान– सरगरा
निवासी– लाम्बिया, तहसील जैतारण,
जिला– पाली।

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 व 131 LR Act. भू0 राज0 अधिनियम 1956

तारीख रजू:. 22/01/2020

उपस्थित:– 1. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण।
2. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉक:– 09/02/2021

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 LR Act. भू0 राज0 अधिनियम 1956 के तहत् पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा–लाम्बियां, पटवार हल्का लाम्बियां, तहसील–जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 649 का मिशल बदोबस्त (भू–प्रबंध 2011–2020) अनुसार कुल रकबा 63–18 बीघा हैं। वर्तमान जमाबंदी में दर्ज उक्त खसरा नम्बरान् के बट्टा नम्बर सहित खातेदारानों का कुल रकबा 64–18 बीघा दर्ज हैं। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वक्त भू–प्रबंध सरकारी थी। कालान्तर में इस भूमि का आबंटन/नियमन किया गया था। इस प्रकार वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर 649 का रकबा बट्टा नम्बर सहित भू–प्रबंध के रकबे से 1–00 बीघा भूमि अधिक दर्ज हैं। प्रार्थी ने अपने आवेदन में संलग्न प्रपत्र के विशेष विवरण के कॉलम में दर्ज नियमन/आबंटन की दिनांक क्रमानुसार निम्नानुसार बताई।

1. दिनांक 23/07/1962 को 4 व्यक्तियों को 45–00 बीघा भूमि का आबंटन किया गया। आबंटन पश्चात् 18–18 बीघा भूमि आबंटन/नियमन योग्य भूमि ही शेष रही।
2. दिनांक 22/06/1970 को 4 व्यक्तियों 1. मोहन पुत्र शिवदान को 5–00 बीघा 2. मिश्रीलाल पुत्र शिवदान को 5–00 बीघा 3. जगदीश पुत्र शिवदान को 5–00 बीघा 4. बक्शा पुत्र शिवदान को 04–18 बीघा इस प्रकार कुल [illegible] भूमि आबंटित कर 1–00 बीघा भूमि अधिक आबंटित कर दी गयी।

प्रार्थी ने निवेदन किया कि पश्चात्वर्ती आबंटन/नियमन को [illegible] वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व मिशल बंदोबस्त (भू–प्रबंध) रकबें को डीआईएलआरएमपी योजना के अंतर्गत समरूप मिलान करने हेतु कम किया जाना आवश्यक हैं। इस हेतु वर्तमान जमाबंदी में दर्ज निम्नानुसार खसरा नम्बरान् के खातेदारों का रकबा कम कराने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.05 13:04:44 IST
Reason: SelfAttested

| क्र. स. | खसरा नम्बर | नाम |
|---|---|---|
| 1 | 649/2 | जो मिश्रु पुत्र शिवदान को आबंटित हुई थी वर्तमान जमाबंदी में उसके वारिशान फुला पुत्र मिश्रु के नाम 5-00 बीघा भूमि दर्ज है। (रकबा 0-05 बीघा कम करते हुए) के स्थान पर 4-15 बीघा दर्ज कराने |
| 2 | 649/3 | जो बक्शाराम पुत्र शिवदान को आबंटित हुई थी वर्तमान जमाबंदी में उसके वारिशान पुनाराम पुत्र बक्शाराम के नाम 4-18 बीघा भूमि दर्ज है। (रकबा 0-05 बीघा कम करते हुए) के स्थान पर 4-13 बीघा दर्ज कराने |
| 3 | 649/4 | जो मोहन पुत्र शिवदान को आबंटित हुई थी वर्तमान जमाबंदी में 5-00 बीघा भूमि दर्ज है। (रकबा 0-05 बीघा कम करते हुए) के स्थान पर 4-15 बीघा दर्ज कराने |
| 4 | 649 | जो जगदीश पुत्र शिवदान को आबंटित हुई थी वर्तमान जमाबंदी में 5-00 बीघा भूमि दर्ज है। (रकबा 0-05 बीघा कम करते हुए) के स्थान पर 4-15 बीघा दर्ज कराने |

प्रस्तुत प्रा. पत्र एवं मय रिकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाब तलब किया जावें।

अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 4 की और से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी संख्या 03 सम्मन/सूचना नोटिस एवं बार बार आवाजें दिलानें के बावजूद अनुपस्थिति रहनें से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 जवाब प्रार्थना पेश नहीं करना चाहते है, अतः जवाब प्रार्थनापत्र बन्द किया गया। बहस वकील अप्रार्थीगण व सरकारी पैरोकार की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील अप्रार्थीगण एवं सरकारी पैरोकार पर गौर कर मनन करते हुए विधिक संगत प्रावधानों का अध्ययन किया गया। खतौनी बंदोबस्त संवत 2011-2030, ग्राम लाम्बिया के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 649 रकबा 63-15 बीघा सिवाय चक दर्ज है। नामांतरण पंजिका ग्राम- लाम्बिया से स्पष्ट है कि सिवाय चक खसरा संख्या 649 रकबा 63-18 में से दिनांक 23.07.1962 को अलग-अलग काश्तकारों को कृषि प्रयोजनार्थ कुल 45-00 बीघा भूमि आवंटन हो जानें एवं नामांतरण स्वीकृत होकर खसरा संख्या बट्टा संख्या के साथ पृथक हो जानें से मूल खसरा का रकबा 18-18 बीघा शेष रहा, तत्पश्चात दिनांक 22.06.1970 को एक ही दिन अप्रार्थीगण को कृषि प्रयोजनार्थ कुल 19-08 बीघा भूमि आवंटित कर दी गई, जिसका नामाँतरण स्वीकृत होकर पृथक खसरा संख्या व बट्टा [illegible] इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन एवं सलाहकार [illegible] आवंटन हेतू उपलब्ध कुल रकबे 18-18 से एक बीघा अधिक [illegible] वर्तमान जमाबंदी से भी स्पष्ट है। चूंकि उपलब्ध कुल रकबे से [illegible] में शून्य होता है, क्योकि वस्तुतः उसका अस्तित्व ही नहीं होता है तथा यह एक अभि[illegible]य त्रुटि है, जिसका सुधार किया जाना आवश्यक है। चुंकि कुल 1-00 बीघा अधिक आवंटन हैं। जो त्रुटिपूर्ण होनें से प्रश्नगत खसरे का वर्तमान कुल रकबा मूल खसरे के कुल रकबे के बराबर किये जानें के लिए दिनांक 22.06.1970 को एक ही दिए किए पश्चातवर्ती आवंटन जो अप्रार्थी संख्या 1-4 को किया गया था, के रकबे में से 0-05, 0-05 बीघा अर्थात्

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.05 13:04:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

1-00 बीघा रकबा कम कर भू-अभिलेख में चल रही अभिलेखीय त्रुटि को सुधारा जा सकता है, ताकि वादग्रस्त खसरा संख्या 649 के भू-प्रबंध के दौरान के मूल रकबे, आवंटन के पश्चात सभी का योग वर्तमान रकबा तथा मौके को एक समान किया जा सके।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम-लाम्बिया के खसरा संख्या 649 रकबा 5-00 बीघा, खसरा संख्या 649/2, रकबा 5-00 बीघा, खसरा संख्या 649/3 रकबा 4-18 बीघा तथा खसरा संख्या 649/4 रकबा 5-00 बीघा में से प्रत्येक खसरे में अधिशेष दर्ज 0-05, 0-05 बीघा रकबा अर्थात कुल 1-00 बीघा रकबा भूमि कम करते हुए अभिलेखीय त्रुटि को संशोधित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

## -: आदेश :

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। तहसील जैतारण ग्राम- लांबिया के खसरा संख्या 649 रकबा 5-00 बीघा, खसरा संख्या 649/2, रकबा 5-00 बीघा, खसरा संख्या 649/3 रकबा 4-18 बीघा तथा खसरा संख्या 649/4 रकबा 5-00 बीघा में से प्रत्येक खसरे में त्रुटिपूर्ण रूप से अधिशेष दर्ज 0-05, 0-05 बीघा रकबा अर्थात कुल 1-00 बीघा रकबा कृषि भूमि कम करते हुए इसी मुताबिक भू अभिलेख शुद्ध किये जानें तथा इसी मुताबिक नक्शे में तरमीम किये जानें के निर्देश दिये जाते है। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 09/02/2021 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.05 13:04:44 IST
Reason: SelfAttested